कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय–आदेश

जिला पदाधिकारी वैशाली के पत्रांक 611 दिनांक 24.03.2026 के द्वारा जिले में कार्यरत सभी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं प्रधान शिक्षक तथा नवनियुक्त प्रधानाध्यापक का नियुक्ति के समय दिया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन करने हेतु हुए असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली को निर्देश दिया गया था। उक्त निदेश के आलोक में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष जिले के विभिन्न शिक्षकों के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया। **श्री लाला कुमार,** विद्यालय अध्यापक, मध्य विद्यालय, दाउदनगर चकगढो, प्रखंड– बिदुपुर, वैशाली के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जाँच पतिवेदन में यह परिलक्षित हुआ है कि नियुक्ति के समय प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार 45 प्रतिशत अंकित है,जवकि जांच के उपरांत 22 प्रतिशत पाए गए हैं।

विदित हो कि औपबंधिक नियुक्ति–पत्र में यह शर्त स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि **"यह नियुक्ति नव नियुक्त विद्यालय अध्यापक के द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं कागजातों में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्ट्या सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। विभाग द्वारा आपके प्रमाण–पत्रों का सत्यापन संबंधित निर्गमन प्राधिकार से कराया जा रहा है। सत्यापन के क्रम में प्रमाण–पत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुये वेतनादि के मद में दी गयी राशि की वसूली बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी ऐक्ट, 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।"**

अतः **श्री लाला कुमार**, विद्यालय अध्यापक, मध्य विद्यालय, दाउदनगर चकगढो, प्रखंड– बिदुपुर, वैशाली को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के उल्लंघन के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

श्री लाला कुमार के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, वैशाली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, देसरी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हैं।

श्री लाला कुमार का निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, देसरी, वैशाली का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निर्धारित निलंबन के मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा।

17-7-26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली
17/7/26

ज्ञापांकः–1497 हाजीपुर दिनांकः–17/07/26

प्रतिलिपिः–वरीय कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ संबंधित शिक्षक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17-7-26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली
17/7/26